

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या-११/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४४५/२०१८)

राम रतन बनाम सलमान राइन आदि

29.06.2020

प्रार्थी राम रतन की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, कि एम.ए.सी.पी. सं. ४४५/२०१८ राम रतन बनाम सलमान राइन आदि न्यायालय अपर जिला जज, न्यायालय कक्ष सं. ८ झांसी से दिनांक १४.०९.२०१९ को निस्तारित हुआ तथा प्रकीर्ण वाद संख्या ८६५/२०१९ में रिलीज प्रार्थनापत्र स्वीकार के उपरान्त पत्रावली पर याची के नाम की चेक उपलब्ध है, जिसे उसे प्रदान किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तलबीदा पत्रावली प्रकीर्ण वाद सं. ८६५/२०१९ में प्रार्थी राम रतन के पक्ष में न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं. ८, झांसी द्वारा दिनांक १४.१२.२०१९ को अवार्ड की धनराशि रिलीज की गयी, जिसके क्रम में ४४,२५८/- रु. की चेक दिनांक २४.१२.२०१९ को सिंडीकेट बैंक द्वारा बनायी गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी ने अपना खाता सं. १२८८००१७००३१३८२४ पंजाब नेशनल बैंक, आई एफ एस सी कोड PUNB ०१२८८०० बताया है, जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की है। प्रार्थी मुब. ४४,२५८/-रु. तथा दिनांक २४.१२.२०१९ के पश्चात बैंक में अर्जित ब्याज यदि कोई हो सहित प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

सिंडीकेट बैंक शाखा गाबिन्द चौराहा, झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं.४४५/२०१८ प्रकीर्ण वाद संख्या-८६५/२०१९ के प्रकरण में राम रतन के नाम ४४,२५८/- रु. की बनायी गयी चेक जिसका क्रमांक १०३८७६ है, को मूल रूप से वापस प्राप्त कर निरस्त करके, धनराशि ४४,२५८/-रु. पर अब तक अर्जित ब्याज यदि कोई हो सहित राम रतन के खाता सं.१२८८००१७००३१३८२४ पंजाब नेशनल बैंक, एफ आई एस सी कोड PUNB ०१२८८०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से स्थानान्तरित कर आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस न्यायाधिकरण में प्रेषित करें। 3B प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।